न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 77/2023(GCMS : 2023/110)

अमृतपाल पुत्र हंसराज जाति मेघवाल निवासी रिडमलसर तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर

— — — **प्रार्थी**

बनाम

1. **महेन्द्र सिंह रतनू** तहसीलदार, राजस्व पदमपुर
2. हरमन पन्नू पुत्र गुरूउपकार सिंह जाति जटसिख निवासी 49 आरबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. स्नेहजीत पुत्र गुरूउपकार सिंह जाति जटसिख निवासी 49 आरबी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

— — — **अप्रार्थीगण**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

23.08.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी उपस्थिति हुए। उन्हें सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री जीतपाल सैनी ने कथन किया कि उसने ने यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचाराधीन प्रकरण संख्या 1/2023 अनवानी अमृतपाल बनाम हरमन वगै. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर अन्यत्र स्थानान्तरण करने की प्रार्थना की थी किन्तु अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिय यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है उन्हें कोई एतराज नहीं है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 1/2023 अनवानी अमृतपाल बनाम हरमन वगै. अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र नि[illegible]ात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकि[illegible] है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 23.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.09.01 17:02:00 IST
Reason: SelfAttested